14963
6/2/98

(6) (46)

NO. 3059 Dated 29/1/98

Certified under Section 42 of The Indian Stamp Act 1889 that the stamp duty of the amount of Rs. 49999/- Rs. Forty nine thousand nine hundred ninety nine only has been levied on this document and paid by Mange Ram S/o Behari R/o Bajghera

vide Treasury Challan No. 22 Dated 29/1/98 for Sale Deed worth Rs. 400,000/- In Favour of Nishith Joshi

TREASURY OFFICER
GURGAON
29/1/98

किसम वसीका : बयनामा अराजी

मालयती : 4,00,000/= रु

स्टाम्प: 49,999/=रु

मन कि मागें राम पुत्र बिहारी पुत्र जमना दास निवासी बजघेडा तहसील व जिला गुडगावां का हूं ।

Seen in Arbitration
(Sole Arbitrator)

आज तिथि 6.2.98 बरोज बुधवार [illegible] ...

बवक्त 1 बजे समय ... बजे दिन के श्री भागीरथ

पुत्र बिहारी जाति ... वासी ... कादरपुर

पत्रिका ... 5 ... कार्यालय

सब रजिस्ट्रार में रोबरू रजिस्ट्री पेश किया।

सब रजिस्ट्रार
गुड़गाँवा

उपरोक्त पत्रिका तथा श्री भागीरथ व बहाय श्री ... पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिन्होंने सुनकर व समझकर तहरीर व तकमील पत्रिका को ... [illegible] ... (कुछ ...) ... [illegible] ... बकल दरसी नोट गिनकर ... शेष रकम की वसूली व मुजराई ... पहले लेना स्वीकार किया। ... को श्री ... बलबीर सिंह ... श्री ... रूप सिंह ... पहचान करते हैं। साक्षी प्रथम से हम स्वयं परिचित हैं और ... की पहचान करता है।

सब रजिस्ट्रार
गुड़गाँवा

[illegible]
24/2/98

जो कि मैं अराजी जरई खेवट नम्बर 273 खाता नम्बर 330 मुसततील नम्बर 1 कीला नम्बर 15 रकबा 8 कनाल 0 मरले का 1/4 भाग बकदर 2 कनाल 0 मरले वाका सिवाना मौजा चौमा तहसील व जिला गुडगावां का बरूये जमाबन्दी साल 1990- 91 मालिक व काबिज हूं ।

जो कि हर प्रकार के बारे किफालत, रहन, बय, पटटा, तबादला, हिबा आदी, कुरकी, हुकमइमतनाई, मुकदमेबाजी व देनदारी से मुक्त है । इस पर कोई सरकारी या गैर सरकारी कर्जा या रहन का बार नहीं है । इस की बाबत आज तक खरीदार के सिवाऐ किसी के साथ इकरारनामा बय आदी का नहीं किया है । इस की बाबत काई मुकदमा भी विचाराधीन नहीं है । यह सरपलस रक्बा भी नहीं है । इस की बाबत आज तक कोई नोटिफिकेसन भूमी अजर्न अधिनियम के आधिन नहीं हुआ है। यह अराजी मेरी अपनी खुद कासत व मेरे अपने कब्जे में है। इस पर कोई मजारा नहीं है और इस पर कोई पटटा भी नहीं है । इस अराजी से बाया को मामूली आमदनी थी । अब इस अराजी की बहुत अच्छी कीमत मिल रही है । इस अराजी को बेच कर किसी गांव मे अधिक चाही रक्बा खरीद करूगां और दीगर अराजी का सुधार करूंगा । इस अराजी का विक्रय करना परिवार की भलाई का कार्य है ।

अत: आज बदरूस्ती होस व हवास उपरोक्त अराजी सर्व अधिकार दाखली व खरजी सहित बदले मुबलिग 4,00,000/=रु कि आधे जिसके 2,00,000/=रु 00 पैसे होते है बदस्त निशीथ जोशी पुत्र रमेश जोशी निवासी 225 सी , उना अपार्टमैन्टस, प्लाट नम्बर 3, पटपड गंज, नई दिल्ली -92 कतैई बय व फरोख्त कर दी है।

प्रमाणित किया जाता है कि फरीकैन
व साक्षीगण के निशान अंगुठा/
हस्ताक्षर हमारे सामने करवाये

सब रजिस्ट्रार
गुड़गाँवा

कीमत मे से 1,00,000/- पहले व 3,00,000/= रु बजर्ये पेआडर / ड्राफ्ट नम्बर 465982 दिनाकं 29-1-98 बैक आफ राजिस्थान लि० करोल बाग, नई दिल्ली वसूल पाऐ जिसकी प्राप्ती बाया तसदीक व तसलीम करता है । अब कुछ लेना बाकी नहीं रहा है। अराजी मुबैया का कब्जा खरीदार को देकर अपने जैसा मालिक व काबिज बना दिया है ।

इस बयनामे का तमाम खर्चा जैसे स्टाम्प , फीस रजिस्टरी आदी खरीदार ने ही लगाया है। खरीदार को इस बयनामे द्वारा मेरी गैर हाजरी में इन्तकाल मन्जूर कराने का हक होगा । इस बयनामे के बाद बाया व उसके वारसान का अराजी मुबैया से कोई वास्ता नहीं रहा है । अगर आज तक इस अराजी पर कोई बारे रहन पाया जावेगा तो उस की अदायगी का बाया जिम्मेदार होगा । अगर मिलकियत के किसी नुकस के कारण से अराजी मुबैया किसी मुकदमे मे खरीदार से निकल जावेगी तो बाया व उसके वारसान व उनकी जायदाद हर प्रकार कीमत, खर्चा व हरजा अदा करने के जिम्मेदार होंगे ।

कोई सरत वापसी बय की नहीं है । बाया व उसके वारसान इस तहरीर के पाबन्द रहेगे । अत: यह बयनामा सुन व समझ कर लिख दिया कि सन्द रहे तिथी 29 1/1998 रामफूल सिंगला रि० 62

मार्गे राम बाया

गवाह:- .... एडवोकेट गुडगावां

BALBIR SINGH
Advocate, Gurgaon

गवाह:भूप सिंह पुत्र रिसाल सिंह निवासी बजघेडा तहसील व जिला गुडगावां

Bhoopsingh

खरीदार की तरफ से यू० सी० सकसैना

U C Saxena

RAM PHUL SINGLA
GURGAON
1972
Documents Writer

वसीका न० 14963 अति. बही न० 1
जिल्द न० 8490 पृष्ठ न० 46-47 पर
दर्ज किया गया बही न० 1
जिल्द न० 585 पृष्ठ न० 144 पर
दिनांक 6-2 को दर्ज रजिस्ट्रार [illegible]

उप रजिस्ट्रार
गुड़गाँवा